आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

14.2.25

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No.-02/2012-13 रायधनी पंडिताईन **बनाम** प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत
R.M.R. Case No.-06/2014-15 रायधनी पंडिताईन **बनाम** प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत

आदेश

यह वाद R.M.A. Case No.-02/2012-13 रायधनी पंडिताईन बनाम प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत एवं R.M.R. Case No.-06/2014-15 रायधनी पंडिताईन बनाम प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के क्रमशः P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 एवं P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

उक्त वाद R.M.A. Case No.-02/2012-13 रायधनी पंडिताईन बनाम प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत एवं R.M.R. Case No.-06/2014-15 रायधनी पंडिताईन बनाम प्रहलाद मंडल एवं 16 आना रैयत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक–18.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में सम्बद्ध किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के क्रमश P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश के द्वारा आवेदिका रायधनी पंडिताईन के मौजा–भोजपुर के प्रधानी नियुक्ति हेतु आवेदन खारिज किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश के द्वारा प्रहलाद मंडल, पिता–स्व0 वेनी मंडल, ग्राम–गोंदरायडीह को मौजा–भोजपुर, अंचल–नारायणपुर का प्रधान नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता/रिविजनकर्त्ता रायधनी पंडिताईन के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–भोजपुर के जमाबन्दी रैयत एवं निवासी है। गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान के स्वत्वलिपि के अनुसार मौजा–भोजपुर के अभिलेखित 08–08 आना प्रधान पुरूषोत्तम पंडित एवं जगन्नाथ पंडित थे। जगन्नाथ पंडित एवं यदु पंडित सहोदर भाई थे। रायधनी पंडिताईन, यदु पंडित के पोती है। मौजा–भोजपुर के खाता संख्या–01 के जमीन को दोनों भाई द्वारा अपने अंतिम साँस तक दखल कब्जा में था। जगन्नाथ पंडित एवं यदु पंडित के मृत्यु के पश्चात् रायधनी पंडिताईन द्वारा खाता संख्या–01 पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। जगन्नाथ पंडित के प्रपोतत्री होने के कारण उनके द्वारा मौजा–भोजपुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, नारायणपुर द्वारा बिना स्थल जाँच कर एवं गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान के स्वत्वलिपि के देखे बिना कार्यालय में बैठकर प्रतिवेदन बना दिया गया। गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान के स्वत्वलिपि के अनुसार मौजा–भोजपुर में 08–08 आना दो प्रधान थे लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना स्वत्वलिपि का अवलोकन किये ही मौजा–भोजपुर के प्रधान के पद पर प्रहलाद मंडल को नियुक्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मौजा–भोजपुर के 08 आना गत प्रधान जगन्नाथ पंडित के मृत्यु के पश्चात् लंबी अवधि तक प्रधान पद रिक्त था। 1974 ई0 को प्रहलाद मंडल, मौजा–भोजपुर के प्रधान के पद पर नियुक्त थे। प्रहलाद मंडल के पिता कभी भी मौजा–भोजपुर के प्रधान के पद पर नियुक्त नहीं हुए। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के क्रमश P.A Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश के द्वारा आवेदिका रायधनी पंडिताईन के मौजा–भोजपुर के प्रधानी नियुक्ति हेतु आवेदन खारिज किया जाना एवं P.A Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश के द्वारा प्रहलाद मंडल, पिता–स्व0 वेनी मंडल, ग्राम–गोंदरायडीह को मौजा–भोजपुर, अंचल–नारायणपुर का प्रधान नियुक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उत्तरवादी प्रहलाद मंडल के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–गोंदरायडीह के जमाबन्दी रैयत एवं निवासी है तथा मौजा–भोजपुर के जमाबन्दी रैयत है। मौजा–भोजपुर के खाता संख्या–01 एवं 05 उत्तरवादी के पूर्वज जगन्नाथ पंडित प्रधान एवं पुरूषोत्तम पंडित के प्रधानी जोत लगान अदा नहीं किये जाने के कारण उच्छेद कर दिया गया। उपायुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल द्वारा दिनांक–23.02.1936 को प्रधान जगन्नाथ पंडित एवं परूषोत्तम पंडित को संयुक्त रूप से प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया गया था एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के P.A. Case No 19 of 1934-35 में

दिनांक–05.09.1936 को पारित आदेश द्वारा गोंदराय मंडल को मौजा–भोजपुर के 16 आना प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था। गोंदराय मंडल के मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र वेनी मंडल को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक–10.09.1943 को प्रधान बनाया गया था। वेनी मंडल के मृत्यु के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1975 को पारित आदेश द्वारा प्रहलाद मंडल, पिता–स्व0 वेनी मंडल, ग्राम–गोंदरायडीह को मौजा–भोजपुर का प्रधान नियुक्त किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में P.A. Case No 31 of 2006-07 में मौजा–भोजपुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया लेकिन उक्त वाद में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश में कहा गया कि "उपर्युक्त तथ्यों से मैं पाता हूँ कि मौजा–भोजपुर में पूर्व से ही प्रधान नियुक्त हैं प्रधान का पद रिक्त नहीं है। आवेदिका रायधनी पंडिताईन द्वारा मौजा–भोजपुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन युक्तिसंगत नहीं है।" अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश के द्वारा रायधनी पंडिताईन द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रायधनी पंडिताईन द्वारा उपायुक्त महोदय के न्यायालय में अपील आवेदन दिये जाने के पश्चात् R.M.A. Case No.-02/2012-13 के रूप में दायर हुआ। पुनः उक्त वाद के लम्बित रहते हुए रायधनी पंडिताईन द्वारा शरारत–पूर्वक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में R.M.R. Case No.-06/2014-15 के रूप में रिविजन आवेदन दायर किया गया। दिनांक–19.12.1973 को प्रहदाल मंडल के प्रधानी नियुक्ति के करीब 40 साल बाद उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजन दायर किया जाना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 के अन्तर्गत किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेखों में संलग्नक कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश में अंकित है कि "उपर्युक्त तथ्यों से मैं पाता हूँ कि मौजा–भोजपुर में पूर्व से ही प्रधान नियुक्त हैं प्रधान का पद रिक्त नहीं है। आवेदिका रायधनी पंडिताईन द्वारा मौजा–भोजपुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन युक्तिसंगत नहीं है।" स्पष्टतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश के द्वारा प्रहलाद मंडल, पिता–स्व0 वेनी मंडल, ग्राम–गोंदरायडीह को मौजा–भोजपुर, अंचल–नारायणपुर का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 को पारित आदेश **न्यायसंगत** है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश में अंकित है कि "आवेदक प्रहलाद मंडल के पिता–वेनी मंडल पहले प्रधान थे। जिनकी मृत्यु के तीन महिने के अंदर धारा–6 एस0पी0टी0 एक्त के अन्तर्गत प्रधान पद पर बहाली हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। 16 आना रैयतों पर नोटिस जारी की गई है। किसी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। चूँकि यह गाँव प्रधानी है इसलिए इसमें सिर्फ आम रैयतों की मंजूरी की आवश्यकता है। आज 09 रैयत उपस्थित है सभी ने प्रहलाद मंडल को प्रधान बनने के लिए अपना मत दिया प्रहलाद मंडल इस पद के लिए किसी तरह अग्योग नहीं मालूम नहीं पड़ते है। ऐसी परिस्थिति इन्हे इनके पिता के स्थान पर नियुक्ति करने में कोई आपित्त नहीं जान पड़ती है।" इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश **न्यायसंगत** है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के क्रमश P.A. Case No 31 of 2006-07 में दिनांक–09.09.2011 एवं P.A. Case No 12 of 1973-74 में दिनांक–19.12.1973 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील/रिविजन आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.02.20 19:27:06 +05:30
Location: 192.168.31.106

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।